शहरी सेवा शिविर में उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाएं : एडीए

अजमेर, (कासं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से आयोजित शहरी सेवा शिविर-2026 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। शिविर के समापन में अब केवल दो दिन शेष हैं। ऐसे में अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने नागरिकों से 15 जुलाई तक उपलब्ध रियायतों का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

एडीए सचिव अनिल पुनिया ने बताया कि शिविर अवधि के दौरान नागरिकों को बकाया लीज पर ब्याज में शत-प्रतिशत तक की छूट, बकाया लीज राशि में रियायत, भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क में छूट, कृषि भूमि नियमन, उपविभाजन एवं पुनर्गठन, नामांतरण तथा अन्य विभिन्न प्रकरणों में विशेष रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इच्छुक नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में उपस्थित होकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

प्राधिकरण ने यह भी बताया कि पूर्व में जिन परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से कब्जा नहीं मिल पाया था, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी समिति ने पुनः लॉटरी आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे लंबे समय से स्थायी आवास की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को राहत मिलेगी और उन्हें अपने आवास का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। सोमवार को शहरी सेवा शिविर में करीब 575 नागरिकों ने समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क किया। 108 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें स्वीकृत योजनाओं के 12 पट्टे, प्राधिकरण योजनाओं के 11 मामले, निर्माण अवधि विस्तार के 28 प्रकरण, भवन मानचित्र के 5 मामले, उपविभाजन एवं पुनर्गठन के 2 प्रकरण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड के 8 मामले, लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र के 10 प्रकरण तथा नाम हस्तांतरण के 32 मामलों का निपटारा किया गया। अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।

विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्रीन आर्मी व रोटरी क्लब ने पौधारोपण किया

अजमेर, (कासं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान के तहत सोमवार को जिला न्यायालय परिसर, अजमेर में वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्रीन आर्मी एवं रोटरी क्लब, अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। वृक्ष केवल स्वच्छ वायु और जीवनदायिनी ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं।

उन्होंने सभी से पौधारोपण के साथ-साथ पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लेने का आव्हान किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित रमन ने कहा कि स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

कार्यक्रम में अजमेर मुख्यालय के न्यायिक अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी, ग्रीन आर्मी के सचिव कुलदीप सिंह गहलोत, रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनोज डगराल, सचिव दीपक शर्मा तथा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। सभी प्रतिभागियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया।

ब्यावर में शतरंज प्रति. हुई

ब्यावर, (निसं)। ब्यावर चेस यूनिट (राजस्थान चेस एसोसिएशन से संबद्ध) के तत्वावधान में आयोजित ब्यावर जिला अंडर-13 बालक एवं बालिका शतरंज प्रतियोगिता का सफल आयोजन शतरंज अकादमी, आदर्श नगर, ब्यावर में किया गया।

प्रतियोगिता के आयोजक सचिव कपिल पंवार ने बताया कि प्रतियोगिता में ब्यावर जिले के ब्यावर, विजयनगर, जैतारण एवं बदनौर क्षेत्र से आए कुल 26 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक वर्ग में दिव्यांश सिंह चौहान ने प्रथम स्थान, राघव ने द्वितीय स्थान तथा हार्दिक बंसल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं बालिका वर्ग में निर्वि जैन ने प्रथम, जियाना ने द्वितीय तथा विनीशा राठी ने तृतीय स्थान हासिल किया। समापन समारोह में ब्यावर चेस यूनिट की अध्यक्ष रुचिका जैन ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं तथा नियमित अभ्यास एवं अनुशासन के लिए प्रेरित किया।

विद्यार्थियों ने भ्रमण किया

अजमेर, (कासं)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की बहु विषयक एवं अंतर्विषयक शिक्षा अवधारणा को व्यवहारिक रूप से समझने के उद्देश्य से सिटी ठुप, लखनऊ के सिटी एकेडमिक कॉलेज के एम.एड. के 65 विद्यार्थियों ने सोमवार को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय का शैक्षिणक भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग, कणाद भवन एवं संविधान पार्क का अवलोकन कर शैक्षिणक, अनुसंधान तथा नवाचार गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रो. सुभाष चंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत बहु विषयक एवं अंतर्विषयक शिक्षा की अवधारणा पर विस्तार से जानकारी दी।

पुष्कर में पगड़ी महोत्सव 15 जुलाई को

पुष्कर, (नि.सं.)। धर्मनगरी पुष्कर में 15 जुलाई (बुधवार) को भव्य पगड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बद्री घाट से शुरू होने वाले इस धार्मिक आयोजन में पुष्कर सरोवर के सभी 52 घाटों पर प्रतीकात्मक रूप से पगड़ी अर्पित की जाएगी।

पंडित अशोक मुखिया पाराशर ने बताया कि यह आयोजन सुमंगल सत्संग मंडल, जनता कॉलोनी जयपुर की ओर से शाम चार बजे बद्री घाट पर किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ विधि-विधान के साथ पुष्कर सरोवर की विशेष पूजा-अर्चना से होगा।

इसके बाद ढोल-नगाड़ों के साथ पगड़ी अर्पण की परंपरा निभाई जाएगी तथा विश्व के कल्याण एवं सुख-समृद्धि की कामना की जाएगी।

आयोजकों ने बताया कि महिलाएं गुलाबी लहरिया अथवा मोठड़ा धारण कर कार्यक्रम में भाग लेंगी। स्थानीय महिलाएं भी आयोजन में शामिल होकर धार्मिक पुण्य अर्जित कर सकेंगी। पुरुष श्रद्धालु एवं तीर्थ पुरोहित भी आयोजन में सहभागिता करेंगे।

कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालु सर्वप्रथम ढोल-नगाड़ों के साथ ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके पश्चात धर्मशाला में दोपहर के भोजन की व्यवस्था रहेगी। अपराह्न साढ़े तीन बजे बैंड-बाजों के साथ पुष्कर सरोवर के लिए प्रस्थान किया जाएगा। पुरुष श्रद्धालुओं के लिए सफेद कुर्ता-पायजामा तथा महिलाओं के लिए लाल चुनरी अथवा लाल रंग की साड़ी निर्धारित की गई है। इससे पूर्व खण्डेलवाल धर्मशाला में भजन-कीर्तन का आयोजन भी होगा।

आयोजकों का कहना है कि इस वर्ष पुष्कर सरोवर को पगड़ी अर्पित करने के अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों से श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है तथा देश-विदेश के श्रद्धालु भी भाग ले रहे हैं।

भीलवाड़ा में साहू समाज के सम्मेलन पर चर्चा की

भीलवाड़ा, (नि.सं.)। राजस्थान प्रांतीय तैलीक साहू महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक रविवार को भीलवाड़ा स्थित हरिशेवाधाम में भव्य रूप से आयोजित की गई। प्रदेशभर से आए करीब 500 पदाधिकारियों, समाजसेवियों एवं प्रबुद्धजनों की उपस्थितिरही। भीलवाड़ा में प्रस्तावित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं जनचेतना महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा समाज के सर्वांगीण विकास, संगठन विस्तार और युवा पीढ़ी को समाज से जोड़ने पर मंथन हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ हरीशेवाधाम महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अपने आशीर्वचन में उन्होंने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकता, संस्कार और संगठन में निहित होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को शिक्षा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों का आ ान किया कि वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक संगठन की विचारधारा और सेवा कार्यों को पहुंचाएं। अखिल भारतीय तैलीक साहू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष टी.सी. चैधरी ने कहा कि साहू समाज देश के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिणक क्षेत्र में निरंतर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। बैठक में मंच संचालक सहसंयोजक एड़वोकेट कुशल साहू, भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष कैलाशचन्द्र आसरवा, शहर युवा अध्यक्ष राजकुमार डगवाल, नवनियुक्त महिला जिलाध्यक्ष रामू देवी अगवाल, शहर अध्यक्ष सीमा साहू, युवा जिलाध्यक्ष राजू तेली, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामपाल तेली, शाहपुरा जिलाध्यक्ष गोपाल ढाकरिया, आशा अगवाल, कार्यक्रम समन्वयक मुकेश तेली, गोपाल आसरवा भीलवाड़ा आदि मौजूद रहे।

सिखवाल ब्राह्मण समाज की बैठक हुई

ब्यावर, (निसं)। सिखवाल ब्राह्मण समाज की एक आवश्यक मीटिंग प्राचीन नवग्रह मंदिर एवं नवीन तिरुपति बालाजी मंदिर प्रांगण में अध्यक्ष जय नारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई।

पूर्व अध्यक्ष मनीष व्यास ने बताया कि मीटिंग में सिखवाल जनों ने समाज की प्रगति एवं उत्थान के लिए अपने अपने विचार एवं प्रस्ताव रखे एवं 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन अपने आराध्यदेव श्रृंगी ऋषि जयंती सामूहिक रूप से मनाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया। सिखवाल ब्राह्मण समाज अध्यक्ष जय नारायण त्रिपाठी, कैलाश शर्मा,मुकुट उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष छोटू लाल शर्मा, पूर्व अध्यक्ष मनीष व्यास,सत्तू तिवाड़ी, गणपत शर्मा, सत्यनारायण उपाध्याय, कमल त्रिपाठी,गोपाल व्यास, रामकरण शर्मा,रामनारायण शर्मा, राजेश त्रिपाठी,हरीश त्रिपाठी, आलोक उपाध्याय,अनिल त्रिपाठी, नितिन उपाध्याय,सुमित तिवाड़ी, मनोज श्रृंगी, आनंद तिवाड़ी,तपेंद्र व्यास, मधुलता उपाध्याय, सुधा नागला, शर्मिला त्रिपाठी,प्रतिभा उपाध्याय, मोना त्रिपाठी आदि I ने उपस्थित दर्ज कराई। संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीष व्यास ने किया।

अधूरे नाला निर्माण पर फूटा लोगों का गुस्सा

अजमेर, (नि.सं.)। शहर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बरसात से पहले नालों की स्थिति को लेकर लोगों का आक्रोश सामने आया है। आदर्श नगर स्थित आडी पुलिया पर रेलवे द्वारा नाले की चौड़ाई कम किए जाने और शक्ति नगर में नाला निर्माण कार्य की धीमी गति व घटिया गुणवत्ता के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

अरुण शर्मा ने बताया कि आदर्श नगर के समीप नसीराबाद रोड स्थित आडी पुलिया पर रेलवे द्वारा सुरक्षा दीवार (सेफ्टी वॉल) का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस निर्माण के कारण नाले की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे बरसात के दौरान पानी की निकासी प्रभावित होगी और आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की समस्या और गंभीर हो जाएगी।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पहले से ही बारिश के समय घरों में पानी भरने की समस्या बनी रहती है। अब नाले का आकार छोटा होने से स्थिति और खराब होने की आशंका है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि नाले में सीवरेज लाइन डाल दी गई है, जिससे पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले में बने सीवरेज चैंबरों के ढक्कनों का मुंह अत्यधिक बड़ा होने के कारण उनमें कचरा और प्लास्टिक जमा हो जाता है। इससे पानी की निकासी रुक जाती है और थोड़ी सी बारिश में भी जलभराव की स्थिति बन जाती है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नाले में बने सभी अवरोधों को तत्काल हटाया जाए।नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली, पूर्व पार्षद विजय गहलोत ने बताया कि नगर निगम के वार्ड संख्या 34 स्थित सुभाष नगर की शक्ति नगर कॉलोनी में भी नाला निर्माण कार्य को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली।

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक: 69A/2026-27/4287 — आम सूचना — दिनांक: 09-7-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री लेखराज पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी नरसिंहपुरा ब्यावर ने 69ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद की सीमा में स्थित जायदाद खसरा नं. 644/286, नरसिंहपुरा ब्यावर में आबादी में क्षेत्रफल 120.77 वर्गमीटर का आवासीय पट्टा लेने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त को आवासीय पट्टा विलेख जारी किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

- आयुक्त नगर परिषद,ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक: 69A/2026-27/4603 — आम सूचना — दिनांक: 13-7-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दामोदर साहू पुत्र श्री रामनिवास साहू निवासी बालाजी मंदिर के पास कृषि मंडी रोड ब्यावर ने 69 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद की सीमा में स्थित प्लॉट नं. 11 दक्षिण भाग खसरा नं. 1170, राम नगर दोयम कॉलोनी नयानगर स्थित आबादी भूमि ब्यावर क्षेत्रफल 159.75 वर्गमीटर का आवासीय पट्टा लेने बाबत आवेदन प्रस्तु किया है। अतः उपरोक्त को आवासीय पट्टा विलेख जारी किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

- आयुक्त नगर परिषद,ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक: 69A/2026-27/4028 — आम सूचना — दिनांक: 6-7-26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है श्री मुकेश साहु पुत्र श्री कानमल साहु निवासी नेहरू नगर, खन्ना कॉलोनी, ब्यावर ने 69 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद की सीमा में स्थित जयादाद म्यु. नं. 5/ मकान नं. 25 उत्तरी भाग, गली नं. 02 नेहरू नगर, खन्ना कॉलोनी, ब्यावर मे आबादी में क्षेत्रफल 55.73 वर्गमीटर का आवासीय पट्टा लेने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया हैं। अतः उपरोक्त को आवासीय पट्टा विलेख जारी किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के 07 दिवस के अन्दर अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

- आयुक्त नगर परिषद,ब्यावर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक: न.नि.अ/26-27/125 — आपत्ति सूचना — दिनांक: 10/7/26

मोहम्मद मुबीन खान, शकील अहमद खान, जीमल अहमद खान वासीर आफताब खान, शाकिर आफताब खान पुत्रगण वाफताब अहमद खान निवासी 314/06 पीरो का चौक शोरग्रान मौहल्ला अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 445/05 445/06 543/34 जो वाके मालू चौक चौधरी मौहल्ला अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 19.21 व.मी. है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएें निम्नानुसार हैं।

पूर्व-रास्ता आम — पश्चिम-आम चौक मालू चौक

उत्तर- कॉमन जीना व गंगाराम मालू का मकान — दक्षिण- तुलसीराम शर्मा स्वर्णकार का मकान

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

-उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 576 — जाहिर आम सूचना — दिनांक -10/7/26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-सी-15, विस्तार किशनगढ क्षेत्रफल 73.800 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री हरिनारायण पुत्र श्री सुखराम को आवंटित कर दिनांक 17.02.2012 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री हरिनारायण पुत्र श्री सुखराम द्वारा दिनांक 27.03.2012 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्री हरिनारायण पुत्र श्री सुखराम द्वारा आवास का बैचान श्री हीरालाल पुत्र श्री मदनलाल को दिनांक 28.03.2012 को कर दिया गया। पुनः श्री हीरालाल पुत्र श्री मदनलाल द्वारा आवास का बैचान श्री सतीश काकांणी पुत्र श्री प्रहलाददत काकांणी को दिनांक 28.04.2015 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 725 में पृष्ठ संख्या 199 क्रम संख्या 2015001726 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 2181 के पृष्ठ संख्या 331 से 344 पर दिनांक 28.04.2015 को चस्पा किया गया है। अब श्री सतीश काकांणी पुत्र श्री प्रहलाददत काकांणी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री सतीश काकांणी पुत्र श्री प्रहलाददत काकांणी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

- सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान, आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 577 — जाहिर आम सूचना — दिनांक -10/7/26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-ए-12, विस्तार किशनगढ क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्रीमती निशा गाडोदिया पत्नि श्री अरूण गाडोदिया को आवंटित कर दिनांक 26. 10.2012 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्रीमती निशा गाडोदिया पत्नि श्री अरूण गाडोदिया द्वारा दिनांक 31.12.2012 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्रीमती निशा गाडोदिया पत्नि श्री अरूण गाडोदिया द्वारा आवास का बैचान श्रीमती कान्ता नानवानी पत्नि श्री गोविन्दराम नानवानी को दिनांक 31.12.2012 को कर दिया गया। पुनः श्रीमती कान्ता नानवानी पत्नि श्री गोविन्दराम नानवानी द्वारा आवास का बैचान श्रीमती मीना नेभनानी पत्नि श्री श्याम कुमार नेभनानी को दिनांक 05.10.2015 को कर दिया गया जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 739 में पृष्ठ संख्या 89 क्रम संख्या 2015004416 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 2235 के पृष्ठ संख्या 363 से 378 पर दिनांक 05.10.2015 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती मीना नेभनानी पत्नि श्री श्याम कुमार नेभनानी ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती मीना नेभनानी पत्नि श्री श्याम कुमार नेभनानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

- सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान, आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 578 — जाहिर आम सूचना — दिनांक -10/7/26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-बी-21, विस्तार किशनगढ क्षेत्रफल 123.20 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह को आवंटित कर दिनांक 09.10.2009 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह द्वारा दिनांक 23.10.2009 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह द्वारा आवास का बैचान श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री धर्मचन्द बाकलीवाल को दिनांक 29.12.2009 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 496 में पृष्ठ संख्या 08 क्रम संख्या 2009005578 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1262 के पृष्ठ संख्या 52 से 64 पर दिनांक 29.12.2009 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री धर्मचन्द बाकलीवाल ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री धर्मचन्द बाकलीवाल का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

- सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान, आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक : 607 — जाहिर आम सूचना — दिनांक -13/7/26

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1/10. विस्तार किशनगढ क्षेत्रफल 211.57 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्रीमती मालती अहलानी पत्नि श्री नत्थूलाल को आवंटित कर दिनांक 20.02.2001 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्रीमती मालती अहलानी पत्नि श्री नत्थूलाल द्वारा दिनांक 28.07.2007 को उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। पंजीयन पश्चात् श्रीमती मालती अहलानी पत्नि श्री नत्थूलात द्वारा मुख्तयारनामा आम श्री दीपक कुमार हसानी पुत्र श्री मोहनदास हसानी के पक्ष में निष्पादित किया गया। मुख्तयारनामा आम के आधार पर श्री दीपक कुमार हसानी पुत्र श्री मोहनदास हसानी द्वारा आवास का बैचान श्रीमती रेणु राठी पत्नि श्री नीरज राठी को दिनांक 10.09.2009 को कर दिया गया। मण्डल द्वारा दिनांक 03.11.2015 को श्रीमती रेणु राठी पत्नि श्री नीरज राठी के पक्ष में नामान्तरण के आदेश जारी किये गये। पुनः श्रीमती रेणु राठी पत्नि श्री नीरज राठी द्वारा आवास का बैचान श्रीमती प्रतिभा बजाज पत्नि श्री विकास बजाज को दिनांक 20.03.2026 को कर दिया गया। जो कि पंजीयन विभाग की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1187 में पृष्ठ संख्या 05 क्रम संख्या 202603006103051 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4026 के पृष्ठ संख्या 57 से 74 पर दिनांक 20.03.2026 को चस्पा किया गया है। अब श्रीमती प्रतिभा बजाज पत्नि श्री विकास बजाज ने उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपरांत नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्रीमती प्रतिभा बजाज पत्नि श्री विकास बजाज का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्या लय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

- सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान, आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

नाम परिवर्तन

यह सर्वविदित हो कि मैं रामेश्वर माली, निवासी - तारो का खेडा , बिजयनगर , ब्यावर , राजस्थान - 305624, ने अपने नाबालिग पुत्र/पुत्री का नाम बदलकर दिलखश से विष्णु माली कर दिया है। 13/07/2026 के शपथ पत्र के आधार पर, सभी संबंधित दस्तावेजों में मेरे बच्चे को विष्णु माली के रूप में पहचाना जाएगा।

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र दिव्यांश भाटिया के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम भावना भाटिया दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम भावना जैननी (BHAWNA JAINANI) है अतः भविष्य में मुझे सभी आवश्यक कार्यों के लिए इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

पता - भावना जैननी पुत्री प्रकाशचंद जैननी, 23/189, महावीर मोहल्ला केसरगंज,अजमेर।

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक: 69A/2026-27/4598 — दिनांक: 13-7-26

संशोधित आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय के पत्रांक/69 ए/2026-2067/4155 दिनांक 08.07.2026 के अनुसार राष्ट्रीय दूत के अंक दिनांक 10.07.2026 के प्रकाशित आम सूचना में वाणिज्यिक पट्टा विलेख के स्थान पर आवासीय पट्टा विलेख पढ़ा जावे।

– आयुक्त नगर परिषद,ब्यावर

NAME CHANGE

I, Issam Singh, Father of 18001864L, L/Hav, Desh Raj, Residing at Tigra, Naharpur, Jagadhri, Yamunanagar, Haryana, 135001 have change my name from Issam Singh to Isham Singh vide affidavit no. CH 922177 dt 13/07/2026 at court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I, Sunita, Mother of 18001864L, L/Hav, Desh Raj, Residing at Tigra, Naharpur, Jagadhri, Yamunanagar, Haryana, 135001 have change my name from Sunita to Omvati vide affidavit no. CH 922175 dt 13/07/2026 at court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I KANTAMA REDDY SIVA PARVATHI is Wife of Name-BONDA R S MAHALAXMI NAIDU Serving in Indian Army That I have changed my Name in my Husband Army service record from KANTAMA REDDY SIVA PARVATHI to BONDA SIVAPARVATHI Vide Affidavit No. CK 288626 Before Court Nasirabad

कार्यालय ग्राम पंचायत कटसूरा, पंचायत समिति अरांई, अजमेर

क्रमांक: ग्रा.प.क./निर्माण/2026-27/53 — दिनांक: 13.07.2026

सीमित निविदा सूचना

पंचायत समिति अरांई की अधीनस्थ ग्राम पंचायत कटसूरा में कार्य का नाम ग्राम 1. ग्राम कटसूरा में रतनी देवी घासल के मकान से बन्ना घसवा के मकान की ओर नाला निर्माण 2. ग्राम कटसूरा में दादीया रास्ते राधे श्याम मून्दड़ा के खेत से बृजमोहन मून्दड़ा के खेत की ओर नाला निर्माण कार्य के लिए लिए सिमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB NO:- 1. ZAJ2627A0670 2. ZAJ2627A0671

UBN NO:- 1. ZAJ2627WSLB00693 2. ZAJ2627WSLB00694

प्रशासक, ग्राम पंचायत कटसूरा, पं.स. अरांई, (अजमेर) — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कटसूरा, पं.स. अरांई, (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत काशिर पंचायत समिति अरांई, अजमेर

क्रमांक: ग्रापका/लेखा/ई-निविदा/2026-27/059 — दिनांक: 13/7/2026

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या 3/2026-27

ग्राम पंचायत काशिर में कार्य का नाम ग्राम काशिर में सार्वजनिक स्थान पर खुला तिबारा निर्माण कार्य हेतु ई-प्रोक्यूरमेंट पद्धति से निम्नानुसार ऑनलाईन ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 14.07.2026 को प्रातः 9.30 बजे से दिनांक- 20.07.2026 तक सायं 06.00 बजे तक ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाइट http:// www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।

NIB NO:- ZAJ2627A0672 UBN NO:- ZAJ2627WSRC00695

प्रशासक, ग्राम पंचायत काशिर पंचायत समिति अरांई, अजमेर — ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत काशिर पंचायत समिति अरांई, अजमेर